



डॉ० साहेब दूबे
कार्यक्रम समन्वयक

राष्ट्रीय सेवा योजना जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया



मो०नं० :-9452081115

E-mail :

dubey4045@gmail.com

दिनांक : 25-04-2023

आवश्यक सूचना

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय के सम्मानित प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि सत्र-2023-24 से जो महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना का नई इकाई आवंटन चाहते हैं, वे निश्चित प्रारूप को पूरित कर आवश्यक पत्रजात के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया को दिनांक 01.05-2023 तक आवेदन प्रेषित करने का कष्ट करें।

डॉ० (साहेब दूबे)
कार्यक्रम समन्वयक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा० कुलपति जी।
2. कुलसचिव।
3. प्राचार्य/प्राचार्य सम्बद्ध महाविद्यालय।
4. प्रभारी वेबसाइट एवं कालेज लॉगिन हेतु।

डॉ० (साहेब दूबे)
कार्यक्रम समन्वयक

प्रेषक

ए०के० गोयल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

- 1-कुलसचिव,
राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित समस्त विश्वविद्यालय, उ०प्र०
- 2-कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित समस्त विश्वविद्यालय, उ०प्र०
- 3-उप शिक्षा निदेशक,
(समस्त मण्डल) माध्यमिक शिक्षा, उ०प्र०।
- 4-क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक,
प्राथमिक शिक्षा, उ०प्र०।

उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोषक) विभाग

लखनऊ दिनांक 26 अगस्त, 2015

विषय-राष्ट्रीय सेवा योजना की नई इकाइयों के आवंटन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

महोदय,

कृपया राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित नई इकाइयों के आवंटन के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार द्वारा अनुदानित इकाइयों की संख्या का विश्लेषण कर दिया गया है एवं एन०एस०एस० की गतिविधियों की मासिक आख्या ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। शासन द्वारा अनुभवण एवं मूल्यांकन को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। अतः इकाइयों के प्रस्तावों के अग्रसारण से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें-

- (1) विशेष शिविरों के आयोजन की सूचना शिविर प्रारम्भ होने की तिथि से 15 दिन पूर्व पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से शासन को प्रेषित नहीं करने की दशा में भविष्य में इकाइयों का आवंटन सम्भव नहीं होगा।
- (2) एक बार आवंटन किये जाने पर भविष्य में इकाइयों की उपलब्धता के आधार पर ही पुनः कार्यवाही इकाइयों का आवंटन/इकाइयों बढ़ाना सम्भव होगा।
- (3) भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी इकाइयों की गतिविधियों की मासिक/वार्षिक रिपोर्टिंग ई-मेल/डाक के माध्यम से एन०एस०एस० कोषक उ०प्र० शासन व क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना को प्रेषित करना अनिवार्य होगा। नियमित रिपोर्टिंग न करने वाली इकाइयों को भविष्य में निरस्त कर दिया जाएगा।
- (4) इकाइयों की निरन्तरता बनाये रखने के लिए विशेष शिविरों के आयोजन के 15 दिन के भीतर शिविर की कम से कम 21 पेज की रिपोर्ट कार्यक्रम समन्वयक को प्रेषित करना अनिवार्य है जिसमें प्रत्येक दिवस की गतिविधियों की हाई क्वापी कार्यक्रम समन्वयक व साफ्ट क्वापी शासन को प्रेषित करना अनिवार्य है।
- (5) कार्यक्रम समन्वयकों द्वारा उतनी ही इकाइयों बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाय जिसमें काटने की संस्तुति की गयी है। इकाई काटने की संस्तुति का तार्किक आधार होना चाहिए।
- (6) इकाइयों की गतिविधियों के आधार पर इकाइयों काटने एवं महाविद्यालयों/विद्यालयों का गठित जारी कर शासन को सूचित किया जाना चाहिए।

कार्यक्रम समन्वयक/उप शिक्षा निदेशक/क्षेत्रीय समुक्त निदेशक उन्हीं महाविद्यालयों/विद्यालयों के प्रस्ताव नई इकाइयों हेतु अयोजित करें जिनको पूर्व का समाज सेवा का पर्याप्त अनुभव हो। इस हेतु आइटम प्रस्ताव के साथ विगत 03 वर्षों की गतिविधियों के सन्ध में आख्या साक्ष्यों सहित रसिदों होना आवश्यक है। यथा--


- > महाविद्यालय द्वारा आयोजित स्वतन्त्र शिबिरों की सख्या एवं शिक्षक छात्र-छात्राओं द्वारा किये गये सामाजिक स्वतन्त्रता सुनिश्चय की सख्या सुनिश्चित हेतु बाड-बैक का प्रमाण-पत्र सलमन करे)
- > राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं में महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं एवं शिक्षकों का योगदान जैसे-समाजवादी पेशान योजना, कन्या विद्यालय, बालिका समृद्धि जन्मी सुरक्षा, किसान पेशान आरक्षणीयों के तहत गरीब बच्चों का विद्यालयों में प्रवेश, स्वच्छता अभियान, कृषकरोपण समेकित सदरशेड प्रदर्शन कार्यक्रम, बेंटी बचाओ-बेंटी पढ़ाओ, साक्षरता क्लीन एण्ड पीन प्रोग्राम जल संरक्षण मतदाता जागरूकता अभियान, नृद्धी, महिलाओं एवं अनाथ बच्चों के लिए किये गये कार्य (सुनिश्चित हेतु कोटोकाफ, न्यून वेयर कटिंग एवं सरकारी प्रशिक्षणियों द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र सलमन करे)।
- > सख्या के प्राचार्य का इस आशय का प्रमाण-पत्र कि एन0एस0एस0 को पर्याप्त संस्थापन उपलब्ध करायेगे एवं परिशिक्षण/शिबिरों/निगमित कार्यक्रमों हेतु कार्यक्रम अधिकारियों को नियमित रूप से भेजेगे। प्रमाण-पत्र में यह भी उल्लेख होना चाहिए कि गतिविधियों के सन्ध में प्रदत्त की गयी जानकारी पूर्णतया सत्य है और यदि यह प्रमाण पायी जाती है तो शासन द्वारा उचित विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय
(ए0के0 गोयल)
समुक्त सचिव।

सख्या-139(1)/सत्तर-राशे0यो0को0-2015, तदुदिनांक।

संश्लेषित निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आकरयक कार्यवाही हेतु देयित--

1. डा0 अशोक कुमार शर्मा, क्षेत्रीय शिक्षक भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मन्त्रालय, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय भवन, अटल बिरा, हास 00-1 सत्तर-एक0 अक्षीयक, लखनऊ।
2. सम्मन्वयक, इम्पेनल प्रशिक्षण केन्द्र, राशे0यो0 सीट जेम्स कॉलेज, आगरा।
3. सम्मन्वयक, इम्पेनल प्रशिक्षण केन्द्र, राशे0यो0, पीन प्रयाग उपखण्ड गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
4. निदेशक, इम्पेनल निदेशक केन्द्र (इम्पेनल प्रशिक्षण केन्द्र) निदेशक भवन, भवनकलमपर, कानपुर रोड, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।


(अशुभनि शर्मा)
क्षेत्रीय आयोजिकारी एवं
राज्य समन्वय प्रशिक्षकरी।

प्रारूप-II

**वर्ष 2023-24 में नई संस्थाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाईयों का आवंटन
महाविद्यालय/माध्यमिक शिक्षा मण्डल/प्राविधिक शिक्षा क्षेत्र/जोन का नाम:**

क्र० सं०	विश्वविद्यालय/परिसर महाविद्यालय/माध्यमिक विद्यालय/पालिटेक्निक संस्था का नाम	शासन द्वारा महाविद्यालय की मान्यता प्रदान करने का वर्ष (मान्यता प्रति की प्रतिलिपि भी संलग्न करें)	वर्तमान वर्ष में अध्ययनरत् छात्रों की संख्या			
			स्नातक /पालिटेक्निक संस्था			
			वर्ष	स्नातक/पालिटेक्निक संस्था		
प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	योग				
1	2	3	4	5	6	7
			2020-21			
			2021-22			
			2022-23			

राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित छात्र संख्या	राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई आवंटन कराये जाने का औचित्य (अधिकतम 30 शब्दों में)
7	8

वर्तमान वर्ष में विश्वविद्यालय परिसर, महाविद्यालय स्तर पर स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष, पालिटेक्निक कालेज में प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष तथा माध्यमिक शिक्षा स्तर पर कक्षा-11 व 12 में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की वास्तविक संस्था अंकित की जाय। अध्ययनरत् छात्रों की संख्या का सत्यापन विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय स्तर पर कुलसचिव, पालिटेक्निक संस्था स्तर पर क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा कालेज स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी जानकारी एवं विश्वास में उपर्युक्त सभी सूचनायें पूर्णतः सत्य हैं तथा उपर्युक्त कालम संख्या-6 में प्रमाणित छात्र संख्या के अनुसार सम्बन्धित शिक्षण संस्था योजना के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक संरचनात्मक सुविधायें तथा निर्धारित समयवधि में प्रशिक्षित कार्यक्रम अधिकारी उपलब्ध कराने के साथ-साथ शासन तथा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अक्षरशः पालन के लिए यत्नबद्ध हैं।

दिनांक :
स्थान :

अध्ययनरत् छात्रों की संख्या सत्यापित
हस्ताक्षर-प्राचार्य
(सील सहित)

संलग्नक-स्ययित्तपोषित कालेज की मान्यता प्राप्ति की सत्यापित छायाप्रति।

हस्ताक्षर-विश्वविद्यालय स्तर पर कुलसचिव/
माध्यमिक कालेज स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक/
पालिटेक्निक संस्था स्तर पर क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा (सील सहित)

(उक्त प्रपत्र विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उच्च शिक्षा राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक (विभाग बहुखण्डीय भवन, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ को सीधे भेजा जाय।)